⓪ अधिकार Rights

अधिकार का सामान्य आशय उन सुविधाओं और परिस्थितियों से है जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति के ~~सर्वांगीण~~ सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। अधिकारों की धारणा का सम्बन्ध एक ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं तथा दूसरी ओर राज्य की गतिविधि के क्षेत्र से है। लास्की ने लिखा है, प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से आंका जाता है। बिना अधिकारों के स्वतन्त्रता का अस्तित्व ही सम्भव नहीं। राज्य और व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध इन बातों निर्भर करती है कि एक व्यक्ति का राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए — ये उनके अधिकार हैं और व्यक्ति का राज्य के लिए क्या-क्या करना चाहिए — ये उनके कर्तव्य हैं। अतः अधिकार राज्य के अन्तर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर हैं जिनसे उसे आत्म-विकास में सहायता मिलती है। लास्की के अनुसार, "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म-विकास की आशा नहीं कर सकता।" ग्रीन, "अधिकार सामान्य सद्गुण में योगदान के उद्देश्य से प्रस्तुत और मान्यता प्राप्त एक माँग है।"

राज्य में व्यक्ति के जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, उन्हें नकारात्मक अधिकार की कोटि में रखा जा सकता है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सकारात्मक अधिकार यह संकेत देता है कि व्यक्ति को आत्म-विकास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से क्या-क्या व्यवस्था की गई है। जैसे — Right to work, Right to Legal Aid. पूँजीवादी राज्य में नकारात्मक अधिकार तथा समाजवादी राज्य में सकारात्मक अधिकार पर बल दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत नकारात्मक तथा यथासम्भव सकारात्मक अधिकारों की भी व्यवस्था की जाती है।

स्पष्ट है कि अधिकारों का अस्तित्व समाज के वृहत् हित में ही सम्भव है और दूसरे अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही सम्भव है, समाज से बाहर नहीं।

अधिकार व्यक्ति की वह माँग है जो समाज द्वारा समर्थित तथा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यानि सर्वप्रथम — यह व्यक्ति की माँग है, दूसरे इसे समाज द्वारा समर्थित होना चाहिए तथा अन्ततः यह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

— अधिकार के विभिन्न सिद्धान्त: — यह सिद्धान्त मूलतः 17वीं 18वीं शताब्दी में संविदावादियों द्वारा विकसित किया गया। इसके अनुसार मनुष्य के कुछ अधिकार राज्य की स्थापना के पूर्व भी प्राप्त थे। ये अधिकार जन्मजात हैं। इनकी रक्षा के लिए ही व्यक्ति समाज और राज्य का निर्माण करता है। इस सिद्धान्त के ~~xxxx~~ सर्वप्रमुख विचारक जॉन लॉक हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। अमेरिकी स्वतन्त्रता की घोषणा (1776) तथा फ्रांसीसी घोषणा पत्र (1789) तथा संयुक्त राष्ट्र ~~xxxx~~ के अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (1948) में भी प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी गई है।

— अधिकारों का वैधानिक सिद्धान्त — कानून सम्प्रभु की आज्ञा है। अतएव यह स्पष्ट है कि अधिकारों का अस्तित्व राज्य में ही सम्भव है। हॉब्स ने सर्वप्रथम इस धारणा का प्रतिपादन किया। यद्यपि इस सिद्धान्त को बेन्थम, ऑस्टिन, रिची जैसे विद्वानों द्वारा ~~विकसित~~ विकसित किया गया। बेन्थम का कथन है — अधिकार विधि और केवल विधि का फल है। बिना विधि के कोई अधिकार नहीं है। विधि के विरुद्ध या विधि के पूर्व कोई अधिकार नहीं।

— अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त: — मनुष्य को जो सुविधाएँ लम्बे ~~समय~~ समय तक प्रथा एवं परम्परा के रूप में प्राप्त होता है कालान्तर

में वही अधिकारों का रूप ग्रहण कर लेता है। मेकाइवर, बर्क, लर हेनरी मेन इस सिद्धान्त के समर्थक है।

– अधिकारों का उपयोगितावादी या समाज कल्याण सिद्धान्त — अधिकार समाज द्वारा ~~स्वीकृत~~ स्वीकृत कुछ मूल सुविधाएँ है जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। सामाजिक कल्याण का आशय अधिकतम् अधिकतम् कल्याण से है। व्यक्ति की जो मांग सामाजिक कल्याण के अनुकूल नहीं है- उन्हें अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेन्थम, लास्की, आदि इस सिद्धान्त से प्रमुख रूप से जुड़े है।

– अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धान्त — 19 शताब्दी के आदर्शवादियों द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार व्यक्ति को अपने नैतिक विकास के लिए ~~आवश्यक~~ कतिपय सुविधाओं की आवश्यकता होती है- जिन्हे अधिकार कहते है। ग्रीन ने इस सिद्धान्त प्रमुख प्रतिपादक है। कान्ट एवं हीगल द्वारा भी इसका समर्थन किया गया।

~~औपचारिक रूप से अधिकारों का~~

– अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धान्त – किसी भी राज्य में, किसी भी युग में प्रचलित अधिकार, प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते है। अतः कामगार वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्ग पूँजीपति वर्ग को हटाकर स्वयं सत्ता संभाल ले। मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत दिए जाने वाले अधिकारों के खोखलेपन की चर्चा की। अतः सर्वहारा वर्ग को सही अर्थों में अधिकारों की प्राप्ति पूँजीवादी व्यवस्था के विनाश के उपरान्त ही हो सकती है।

– अधिकारों के प्रकार — नैतिक अधिकार – ये वे अधिकार है जिनका स्रोत समाज की सद्भावना है। इनका कोई वैधानिक आधार नहीं है।

मानवाधिकार – ये वे अधिकार है जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते ~~चाहिए~~ है या प्राप्त होने चाहिए। ये एक प्रकार ~~से~~ से प्राकृतिक अधिकार के ही वैधानिक रूप है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन् 1948 में पारित अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में इनकी विस्तृत चर्चा की गई है।

– सामाजिक अधिकार – ये वे अधिकार है जो व्यक्ति को समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त होते है। इन्हें नागरिक अधिकार भी कहते है। जीवन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता, शिक्षा, संस्कृति आदि के अधिकार इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते है।

– राजनीतिक अधिकार – ये वे अधिकार है जो किसी भी देश में केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते है। इनका उद्देश्य नागरिकों को राज्य के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी प्रदान करना है। मत देने का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, आदि कुछ प्रमुख राजनीतिक अधिकार है।

– आर्थिक अधिकार – ये अधिकार वे है जिनका सम्बन्ध मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है – जैसे

काम, विश्राम, असमर्थता की अवस्था में राज्य की सहायता पाने आदि के अधिकार इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के अधिकार अधिकांशतः समाजवादी देशों में प्राप्त होते हैं।

जब अधिकार नैतिक आधार पर स्थापित किए जाते हैं तब यह आवश्यक होता है कि उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े हों। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। लास्की के शब्दों में, "मुझे दूसरों के आक्रमण से रक्षा प्रदान करने का अर्थ यह है कि मैं अपने-आपको दूसरों पर आक्रमण करने से रोकूँ।"

अधिकारों की संकल्पना के साथ यह विचार भी जुड़ा है कि व्यक्ति और राज्य दोनों उच्चतर साध्यों की साधना करें। अतः व्यक्ति एवं राज्य दोनों का कर्तव्य-क्षेत्र एक जैसा है। यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का अधिकार है। दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सहायता करना भी व्यक्ति का कर्तव्य है